

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-702-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएस., कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश अवधि में श्री नीरज दुबे, आयएस., कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-

साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल, का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज दुबे, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. ई. 5-832-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 3 से 7 जनवरी 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 8, 9 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. ई-1-3-2011-5-एक.—सुश्री के. वासुकी, भाप्रसे (2008), सहायक कलेक्टर, शहडोल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, बैतूल पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. ई. 5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर को दिनांक 11 से 21 जनवरी 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-811-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.एस. बंसल, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग उज्जैन को दिनांक 17 से 25 जनवरी 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश

स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 26 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. बंसल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस.एस. बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.एस. बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 10 से 22 जनवरी 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 23 जनवरी 2011 एक सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अनूप सिंह, अपर कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनूप सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. ई-1-04-2011-5-एक.—श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. ई. 5-788-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जी.के. सारस्वत, आयएएस., राज्यपाल के अपर सचिव को दिनांक 17 से 29 जनवरी 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जी.के. सारस्वत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राज्यपाल के अपर सचिव के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जी.के. सारस्वत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जी.के. सारस्वत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. ई-5-557-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव रंजन, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा को दिनांक 17 जनवरी से 5 फरवरी 2011 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 जनवरी एवं 6 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राजीव रंजन, की अवकाश अवधि में श्री विश्वमोहन उपाध्याय, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उच्च शिक्षा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजीव रंजन द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय, आयुक्त, उच्च शिक्षा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-396-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग को दिनांक 11 से 14 जनवरी 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. 5-860-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रतलाम को दिनांक 10 से 14 जनवरी 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. ई-5-743-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.बी. सिंह, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 7 से 15 फरवरी 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 16 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस.बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री एस.डी. अग्रवाल, आयएएस., कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस.बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस.बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.डी. अग्रवाल, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस.बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. ई-1-354-2009-5-एक.—श्रीमती एम. गीता, भाप्रसे (1997), कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 1 जनवरी, 2010 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

क्र. ई. 1-24-2011-5-एक.—श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, भाप्रसे (1982), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं संसदीय कार्य विभाग एवं ट्रस्टी सचिव, भारत भवन की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. एफ 19-13-2011-एक-4.— राज्य शासन, विधान सभा क्षेत्र 170-सोनकच्छ (अजा), जिला देवास एवं 198-कुक्षी, (अजजा) जिला धार के उप चुनाव 2011 के लिए शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देख-रेख/समन्वय के लिए उपायुक्त (राजस्व) भोपाल को उप चुनाव 2011 संपन्न होने तक के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. एफ-ए-5-12-2010-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्री जे.के. माहेश्वरी, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दि. 8-11-2010	1	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व दि. 31-10-10 से 7-11-2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. ई-5-768-आयएएस-लीव-5-1.—(1) श्री संदीप यादव, आयएएस., कलेक्टर, जिला सीहोर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2010 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. ई-5-797-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी.जी. गिल्लौरै, आयएएस., तत्कालीन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 22 से 28 दिसम्बर 2010 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के क्रम में दिनांक 29 दिसम्बर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री पी.जी. गिल्लौरै को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस., सदस्य राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग

के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 22 नवम्बर से 24 दिसम्बर 2010 तक तैंतीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 22 नवम्बर से 21 दिसम्बर 2010 तक तीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-593-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएस., आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 7 से 19 अक्टूबर 2010 तक तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें निम्नानुसार अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 7 से 15 अक्टूबर 2010 तक नौ दिन का (संशोधित) अर्जित अवकाश तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।
2. दिनांक 4 से 13 अगस्त 2010 तक दस दिन अर्जित अवकाश तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

क्र. ई. 5-496-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिल कुमार जैन, आयएस., विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. ई. 5-857-आयएस-लीव-एक-5.—(1) सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी., आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश शुजालपुर, जिला शाजापुर को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी. की अवकाश की अवधि में श्री आर.के. नागराज, डिप्टी कलेक्टर, जिला शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश शुजालपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश शुजालपुर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी. द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश शुजालपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर.के. नागराज, अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश शुजालपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरीन सिंथिया जे.पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. ई-5-501-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी.आर. नायडू, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 दिसम्बर का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकायें एवं 9 दिसम्बर 2010 की बिन्दु क्रमांक-2 की कंडिका यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. ई. 5-823-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 20 जनवरी से 17 फरवरी 2011 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. ई-5-781-आयएस-लीव-एक-5.—श्री आर.के. माथुर, आय.ए.एस., अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय तथा अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पंत, अवर सचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-16-47-2010-सात-2ए.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री एन.के. जैन, संयुक्त कलेक्टर, सिंगरौली को जिले में

अतिरिक्त कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है। श्री जैन, संयुक्त कलेक्टर, सिंगरौली को उनकी सिंगरौली जिले में पदस्थ अवधि अथवा अवर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी।

(2) इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक समसंख्यक दिनांक 22 सितम्बर, 2010 एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, अवर सचिव.

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. एफ. 3-29-10-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा विभागीय अधिसूचना क्र. एफ-3-123-बत्तीस-97, दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 में यथा विनिर्दिष्ट सिंगरौली निवेश क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है, के लिये इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी की स्थापना करती है।

### अनुसूची

#### सिंगरौली निवेश क्षेत्र की सीमायें

**उत्तर में**—बरहवा, टोला, बरगवां, डगा, कनई, गलुगढ़, गोदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, पोंडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करेला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।

**पूर्व में**—चुरकी, झिंगुरदहा, चुरीदेह, करूआरी, सरसवाहलाल, सरसवाहराजा, चंदुली, मटवई व तेलगवां, जवाडी, जयनगर, माहिलगढ़-पश्चिम, चन्दाबल सेमरिया एवं ग्राम बलियारी की पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण में**—ग्राम बलियारी, मनियारी, हिरवाह, सिंगरौलिया, खजूरी एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक।

**पश्चिम में**—ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, भटवा, धतूबरवा, धतूरा पोखरा, बुसुमहरा, हरदी, खटखरी, लूरी, काजल, पौड़ी, चौराई, बुधेला, पिपराझांपी, नदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवां एवं ग्राम बरहवां टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2011

फा. क्र. 17(ई) 24-09-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री किरण कुमार महाजन, सहायक ग्रेड-3, न्यायिक जिला रतलाम एवं श्री संजय जीवने, सहायक ग्रेड-3 न्यायिक जिला स्थापना झाबुआ की सेवाएं सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय-पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग, इन्दौर में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई) 2-2008-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री श्याम बिहारी वर्मा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की सेवाएं रजिस्ट्रार (Examination & Labour Judiciary) उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2011

फा. क्र. 17(ई)-160-इक्कीस-ब(दो)-10.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर 2010 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री एन. के. जैन, संयुक्त कलेक्टर, सिंगरौली को सिंगरौली जिले हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2011

फा. क्र. 1(बी) 31-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2004 के द्वारा श्री मनोज जैन को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, इन्दौर नियुक्त किया गया था।

श्री मनोज जैन, अति. शास. अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक के द्वारा त्याग-पत्र दिया जाकर तत्काल पद से मुक्ति चाहे जाने पर विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पद मुक्त करता है।

फा. क्र. 17(ई) 3-2011-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री शफी मोहम्मद छागला, नोटरी निवासी, तहसील जावद,

जिला नीमच का नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम 1956 के सहपठित नियम 13 के अन्तर्गत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आदेश क्रमांक 17(ई)-21-2008-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 31 मार्च 2008 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर उनका नाम नोटरी पंजी से कम किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

## परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्र. एफ-22-253-2002-आठ.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 4 मई 2009 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. रामानुजम, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीपराज द्विवेदी, उपसचिव.

## योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. एफ-10-28-2010-23-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3(ग) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कालम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	अशासकीय सदस्यों के नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री संजय नगायच	पन्ना
2	श्री नंदकिशोर नापित	टीकमगढ़
3	श्री गोविंद बिहारी अग्रवाल	टीकमगढ़
4	श्री रमेश सिंह कुशवाह	भिण्ड
5	श्री लाल सिंह आर्य	भिण्ड

(1)	(2)	(3)
6	श्री गोपाल तिवारी	भोपाल
7	श्री राजेन्द्र विजयवर्गीय	भोपाल
8	श्री काशीराम पाटीदार	खरगौन
9	श्री विपिन रमेश चन्द्र गौर	खरगौन
10	श्री आशीष दुबे	जबलपुर
11	डॉ. विनोद कुमार मिश्रा	जबलपुर
12	श्री विजय शुक्ला	कटनी
13	श्री विजेन्द्र सिंह कोकड़िया	मण्डला
14	श्री रोचीराम गुरबानी	मण्डला
15	श्री जनार्दन मिश्रा	रीवा
16	श्री वीरेन्द्र गुप्ता	रीवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजनी गोरे, अवर सचिव.

### कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2011

एफ. नं. 1-39-2010-बावन (1).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लि. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्तमान में निर्धारित अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) आयु 58 वर्ष के स्थान पर “निगम” के सभी श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) आयु 60 वर्ष निर्धारित करता है.

(2) यह आदेश इसके जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगा.

(3) यह आदेश वित्त विभाग द्वारा उनकी टीप क्रमांक CR-1190-B-4-2010, दिनांक 21 दिसम्बर 2010 से दी गई सहमति पर भी आधारित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश प्रसाद मिश्रा, उपसचिव.

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. एफ-1(ए)-193-1991-ब-2-दो.—श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल

को दिनांक 17 जनवरी से 17 फरवरी 2011 तक कुल बत्तीस दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 15, 16 जनवरी 2011 एवं 18, 19 व 20 फरवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. बिसौने, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. बिसौने, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्र. एफ-1 (ए)-138-98-ब-2-दो.—श्री व्ही. एन. पचौरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 18 दिसम्बर 2010 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एन. पचौरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एन. पचौरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.



(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एन. पचौरी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. एफ-1(ए)-112-86-ब-2-दो-संशोधित आदेश.— विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2010 द्वारा श्री सुखराज सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (विसबल) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17, 18, 19, 25 एवं 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ

स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा खण्ड वर्ष 2006-09 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2008-09 के (विस्तार वर्ष 2010) में भारत में कहीं भी भ्रमण की पात्रता के तहत परिवार के सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई थी.

(2) उक्त आदेश में टंकण त्रुटिवश "अण्डमान निकोबार" अंकित हो गया था. अतः "अण्डमान निकोबार" के स्थान पर होशियारपुर (पंजाब) पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

### वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. एफ-2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)/ 7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋण पत्रों/ ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 6,60,00,000 (रुपये छः करोड़ साठ लाख) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि	10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति	कुल प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	क्रमांक 2173/3199/चार/ नि-3/90, दिनांक 22-6-1990.	11.5%	ऋण पत्र	25-6-2010	6,00,00,000	60.00 लाख	6,60,00,000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. पुरोहित, अवर सचिव.

### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. एफ-2-3-2010-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् निरीक्षकालय के लिए विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 12 जुलाई 2010 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कुल 209 पदों के निर्माण की स्वीकृति के उपरांत वित्त विभाग की सहमति के आधार पर नीचे दर्शाये अनुसार मुख्यालय, वृत्तीय संभागीय एवं उप संभागीय मुख्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	वृत्त का मुख्यालय	संभागीय मुख्यालय	उप संभागीय मुख्यालय	उप संभाग के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	इन्दौर	1 इन्दौर	1. इन्दौर-1 2. इन्दौर-2	इन्दौर (पूर्व एवं दक्षिण) इन्दौर (उत्तर एवं पश्चिम) एवं तह. इन्दौर (शहर छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	इन्दौर		3. इन्दौर-3 (नवीन) 4. देवास 5. कन्नौद	तह. मऊ, सांवेर एवं देपालपुर तह. देवास, सोनकच्छ तह. कन्नौद, बागली, खातेगांव
		2 खण्डवा	6. खण्डवा 7. बड़वानी (नवीन) 8. बुरहानपुर 9. खरगौन 10. बड़वाहा (जिला खरगौन)	तह. खण्डवा, हरसूद एवं पुनासा जिला बड़वानी जिला बुरहानपुर एवं तह. पन्थाना (जिला खण्डवा) तह. खरगौन, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया एवं महेश्वर. तह. बड़वाहा एवं कसरावद
2	उज्जैन	3 उज्जैन	11. उज्जैन-1 12. उज्जैन-2 (नवीन) 13. खाचरौद (जिला उज्जैन) 14. धार	तह. उज्जैन तह. नागदा, तराना, घटिया एवं महिदपुर तह. खाचरौद एवं बड़नगर जिला धार
		4 रतलाम	15. रतलाम 16. जावरा (जिला रतलाम) 17. झाबुआ (नवीन) 18. मंदसौर 19. गरोठ 20. नीमच	तह. रतलाम, बाजना, रावटी एवं सैलाना तह. जावरा, आलोट, ताल एवं पिपलोदा जिला झाबुआ एवं जिला अलीराजपुर तह. मंदसौर, सुवासरा, दलौदा एवं सीतामऊ तह. गरोठ, मल्हारगढ़, भानपुरा एवं शामगढ़ जिला नीमच
3	रीवा	5 रीवा	21. रीवा 22. सिंगरौली (नवीन) 23. सतना 24. छतरपुर	तह. रीवा हुजूर, सिमरिया, मनगवा, मऊगंज, हनुमना, त्योथर एवं सिरमौर. जिला सिंगरौली एवं जिला सीधी, तह. रायपुर, करचुलियान (जिला रीवा) एवं तह. गुढ (जिला रीवा). जिला सतना जिला छतरपुर
		6 शहडोल (नवीन)	25. शहडोल (नवीन) 26. कटनी (नवीन) 27. मण्डला (नवीन)	जिला शहडोल, जिला अनूपपुर एवं जिला उमरिय जिला कटनी एवं जिला पन्ना जिला मण्डला एवं जिला डिण्डौरी
4	जबलपुर	7 जबलपुर	28. जबलपुर-1 29. जबलपुर-2 (नवीन) 30. नरसिंहपुर	जबलपुर (शहर), तह. पाटन एवं शहपुरा तह. जबलपुर (शहर छोड़कर), पनागर, कुण्डम एवं सिहोरा. जिला नरसिंहपुर
		8 सागर	31. सागर 32. दमोह (नवीन) 33. टीकमगढ़ (नवीन)	जिला सागर जिला दमोह जिला टीकमगढ़
		9 छिन्दवाड़ा	34. छिन्दवाड़ा 35. पाण्डुर्णा (जिला छिन्दवाड़ा) 36. सिवनी	तह. छिन्दवाड़ा, जामई, तामिया एवं परासिया तह. पाण्डुर्णा, सोसर, अमरबाड़ा एवं चौरई जिला सिवनी एवं जिला बालाघाट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मुख्यालय, भोपाल	10 भोपाल	37. भोपाल-1 38. भोपाल-2 (नवीन) 39. विदिशा (नवीन)	जिला भोपाल जिला रायसेन जिला विदिशा
		11 सीहोर	40. सीहोर 41. शाजापुर 42. राजगढ़ (नवीन)	जिला सीहोर जिला शाजापुर जिला राजगढ़
		12 होशंगाबाद	43. होशंगाबाद 44. हरदा (नवीन) 45. बैतूल	तह. होशंगाबाद, इटारसी, बावई, सोहागपुर, पिपरिया एवं बनखेड़ी. जिला हरदा, तह. सिवनी मालवा (जिला होशंगाबाद) तह. भैसदेही (जिला बैतूल). तह. बैतूल, मुल्ताई, शाहपुर एवं आमला
		13 ग्वालियर	46. ग्वालियर 47. मुरैना 48. भिण्ड	जिला ग्वालियर एवं जिला दतिया जिला मुरैना जिला भिण्ड
		14 गुना	49. गुना 50. अशोकनगर (नवीन) 51. शिवपुरी (नवीन)	जिला गुना जिला अशोक नगर, तह. खनियाधाना (जिला शिवपुरी), पिछोर (जिला शिवपुरी). जिला श्योपुर, तह. शिवपुरी, कोलारस, बदरवास, करेरा, नरवर एवं पोहरी.

(2) भोपाल मुख्यालय वृत्तीय मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय एवं उप संभागीय मुख्यालय स्तर पर पूर्व में स्वीकृत 385 पद एवं संदर्भित विभाग के आदेश दिनांक 12-7-2010 द्वारा स्वीकृत नव निर्मित 209 पदों को सम्मिलित करते हुए इस समय कुल 594 पदों का बंटवारा निम्नानुसार रहेगा:—

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	मुख्यालय भोपाल	वृत्तीय कार्यालय के लिये (कुल वृत्त 4)	प्रत्येक संभाग के लिए (कुल संभाग 14)	प्रत्येक उप संभाग के लिये (कुल उप संभाग 51)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## वर्ग-1

1	मुख्य अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक	1	1	-	-	-
2	अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उप मुख्य विद्युत् निरीक्षक	5	1	1 प्रत्येक (कुल-4)	-	-
3	कार्यपालन यंत्री (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक	15	1	-	1 प्रत्येक (कुल-14)	-
4	मुख्य विद्युत् शुल्क अधिकारी	1	1	-	-	-

## वर्ग-2

1	सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक	51	-	-	-	1 प्रत्येक (कुल-51)
2	लेखाधिकारी/विद्युत् शुल्क अधिकारी	15	1	-	1 प्रत्येक (कुल-14)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	आडिट आफिसर	1	1	-	-	-
4	वरिष्ठ निज सहायक	1	1	-	-	-
<b>वर्ग-3</b>						
1	निज सहायक	5	1	1 प्रत्येक (कुल-4)	-	-
2	अधीक्षक	5	1	1 प्रत्येक (कुल-4)	-	-
3	वरिष्ठ विद्युत् शुल्क लेखा परीक्षक	21	3	1 प्रत्येक (कुल-4)	1 प्रत्येक (कुल-14)	-
4	उपयंत्री	123	3	1 प्रत्येक (कुल-4)	1 प्रत्येक (कुल-14)	2 प्रत्येक (कुल-102)
5	शीघ्रलेखक	6	0	-	1 (6 संभागीय कार्यालयों हेतु)	-
6	सहायक ग्रेड-1	15	1	-	1 प्रत्येक (कुल-14)	-
7	कनिष्ठ विद्युत् शुल्क लेखा परीक्षक	24	2	2 प्रत्येक (कुल-8)	1 प्रत्येक (कुल-14)	-
8	सहायक ग्रेड-2	74	5	1 प्रत्येक (कुल-4)	1 प्रत्येक (कुल-14)	1 प्रत्येक (कुल-51)
9	*स्टेनो टाईपिस्ट	6	-	-	1 (6 संभागीय कार्यालयों हेतु)	-
10	सहायक ग्रेड-3	74	16	4 प्रत्येक (कुल-16)	3 प्रत्येक (कुल-42)	-
11	विद्युतकार/अनुरेखक	50	-	-	-	1 प्रत्येक (इन्दौर उप संभाग क्र. 3 में विद्युतकार का पद नहीं है) कुल-50.
<b>वर्ग-4</b>						
1	जांच अनुचर	52	1	-	-	1 प्रत्येक (कुल-51)
2	भृत्य	49	9	3 प्रत्येक (कुल-12)	2 प्रत्येक (कुल-28)	-
		<b>594</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>305</b>

**टीप : \***

(1) रीवा एवं उज्जैन संभाग में शीघ्रलेखक के पद नहीं रहेंगे.

(2) इन्दौर, रीवा, जबलपुर, सीहोर, गुना एवं छिन्दवाड़ा संभागीय कार्यालयों में स्टेनो टायपिस्ट के पद रहेंगे.

(3) अन्तरिम व्यवस्था.—वृत्तीय कार्यालय, संभागीय कार्यालय एवं उप संभागीय कार्यालय उनके स्थापित होने के दिनांक से कार्य करना प्रारंभ करेंगे.

(4) वृत्तीय कार्यालय, संभागीय कार्यालय एवं उप संभागीय कार्यालय स्थापित होने तक क्षेत्र का कार्य पूर्ववत् देखा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2011

फा. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
“8.	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश बड़वानी.”

F.No. 17(E) 83-03-XXI-B(one).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one), dated 16th September, 2010, namely:—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

### TABLE

S. No. (1)	Name of Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
“8	Barwani	Ist Additional Session's Judge, Barwani	Shri Ravi Kumar Nayak, Ist Additional Session's Judge, Barwani.”

फा. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
“8.	बड़वानी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	सिविल जिला बड़वानी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 9 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).”

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F.No. 17(E) 83-03-XXI-B(one).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(one), dated 16th September, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil the District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“8	Barwani	1st Additional Session Judge, Barwani	All electricity area of Civil District Barwani (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 9).

**Note.**—The Pending case of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्र. एस.सी.-2-06-2011.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 8 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना वर्ष 2011 में, मुरैना जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	21-3-2011	सोमवार	होली भाई दूज
2	27-10-2011	गुरुवार	गोवर्धन पूजा
3	19-12-2011	सोमवार	पं. रामप्रसाद विस्मिल जयंती

2. यह आदेश बैंक एवं कोषालयों पर प्रभावशील नहीं होगा.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 16 दिसम्बर 2010

क्र. 2033-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 08-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	सिलावद	0.709	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सेतु, संभाग, इन्दौर.	गोई नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुँच मार्ग हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर जिला बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़वानी, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सेतु संभाग, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण सेतु संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-9-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी II	1741/1	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के
			1741/2	0.20	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	अंतर्गत (महुअर नदी तक) की
			1747	0.11	शिवपुरी.	शाखा नहर एल. एम. 12 एवं
			1748	0.27		14 के निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी II	1756/1	0.08	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत (महुअर नदी तक) की शाखा नहर एल. एम. 12 एवं 14 के निर्माण हेतु.
			1758	0.45		
			2577	0.21		
			2578	0.14		
			2614	0.09		
			2615	0.02		
			2617	0.17		
			2622/1	0.18		
			2623	0.17		
			2624	0.14		
			2630	0.12		
			2631	0.12		
			2632	0.12		
			2680	0.24		
			2499	0.24		
			2500	0.20		
			2501	0.22		
			2503	0.36		
			2333	0.22		
			2332	0.16		
			2328	0.22		
			2323/2	0.04		
			2326	0.06		
			2281	0.16		
			2280	0.10		
			2265	0.10		
			2264	0.05		
			2266	0.04		
			2268	0.02		
			2251	0.10		
			2270	0.08		
			2271	0.20		
			2272	0.08		
			2229	0.10		
			2147	0.14		
			2153	0.13		
			2228	0.01		
			2154	0.14		
			2155	0.22		
			2196	0.16		
			2197	0.24		
			2198	0.12		
			2190	0.04		
			2189	0.03		
			2188	0.05		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी II	2187	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के
			2186	0.05	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	अंतर्गत (महुअर नदी तक) की
			2185	0.05	शिवपुरी.	शाखा नहर एल. एम. 12 एवं
			2184	0.04		14 के निर्माण हेतु.
			2183	0.04		
			2182	0.05		
			2181	0.05		
			2180	0.14		
			योग . .	7.33		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-10-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी I	575	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			576	0.12	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी तक) की शाखा एल. एम.
			577	0.10	शिवपुरी.	11 एवं डी-2 शाखा नहरों के
			578	0.13		निर्माण हेतु.
			583	0.14		
			585	0.02		
			588/2692	0.28		
			589/1	0.05		
			589/2	0.45		
			1544	0.10		
			1545	0.07		
			1555/2	0.12		
			1540/2	0.02		
			1556	0.06		
			1557	0.05		
			1558	0.04		
			1559	0.22		
			1616	0.20		
			1619	0.26		
			1620	0.11		
			1624/1	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी I	1624/2	0.15	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा एल. एम. 11 एवं डी-2 शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
			1626	0.60		
			1693	0.22		
			1694	0.10		
			1695	0.02		
			1542	0.04		
			1541	0.19		
			1538	0.03		
			1537	0.22		
			1536	0.26		
			1534	0.06		
			1802	0.02		
			1803	0.19		
			1796/2	0.05		
			1796/1	0.03		
			1795	0.05		
			523	0.12		
			524	0.02		
			522	0.14		
			521	0.04		
			514	0.21		
			512	0.02		
			513	0.15		
			508	0.15		
			469	0.11		
			470	0.10		
			471	0.02		
			466	0.11		
			465/2	0.04		
			463	0.01		
			464	0.25		
			458	0.08		
			456	0.08		
			479	0.04		
			480/1	0.08		
			480/2	0.04		
			482	0.05		
			490	0.28		
			497/2	0.12		
			498	0.11		
			499/1	0.06		
			641	0.04		
			754	0.13		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी I	753/1	0.05	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा एल. एम. 11 एवं डी-2 शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
			751/3	0.21		
			765	0.16		
			745	0.03		
			730	0.04		
			732	0.01		
			733	0.07		
			734	0.03		
			735	0.14		
			670	0.15		
			671	0.20		
			676	0.22		
			675	0.01		
			680	0.15		
			681	0.19		
			683	0.18		
			687	0.07		
			387	0.36		
			395	0.05		
			399	0.02		
			375	0.03		
			400	0.04		
			401	0.09		
			403	0.03		
			402	0.04		
			367	0.04		
			365	0.02		
			364	0.03		
			363	0.02		
			366	0.01		
			372	0.04		
			379	0.02		
			497/1	0.10		
			495	0.11		
			496	0.02		
			643/1	0.06		
			643/2	0.10		
			749/3	0.35		
			749/1	0.12		
			747	0.23		
			218	0.24		
			217	0.32		
			214	0.24		
			142	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	काली पहाड़ी I	141	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा एल. एम. 11 एवं डी-2 शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
			140	0.07		
			139	0.07		
			138	0.07		
			134	0.17		
			133/1	0.04		
			133/2	0.04		
			157/1	0.12		
			156/1	0.09		
			162/1	0.14		
			161	0.02		
			176	0.02		
			175	0.17		
			173	0.06		
			136	0.02		
			177	0.03		
			178	0.02		
			योग . .	13.45		

**नोट:—**भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-11-10-11-अ-82.—चूकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रायपहाड़ी	93	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध दांया तट नहर (महुअर नदी तक) की शाखा डी-5 के निर्माण कार्य हेतु.
			94	0.16		
			95	0.03		
			96	0.23		
			108	0.01		
			110	0.09		
			111/2	0.11		
			121	0.03		
			122	0.26		
			123	0.25		
			125	0.01		
			128	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रायपहाड़ी	129	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			130	0.15	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी तक) की शाखा डी-5 के
			131	0.04	शिवपुरी.	निर्माण कार्य हेतु.
			132	0.07		
			162	0.01		
			163	0.06		
			164	0.13		
			167	0.05		
			169	0.06		
			170	0.18		
			171	0.15		
			172	0.14		
			173	0.06		
			196	0.02		
			197	0.24		
			198	0.06		
			199	0.18		
			222	0.26		
			226	0.28		
			227	0.18		
			228	0.06		
			235	0.07		
			योग . .	3.81		

**नोट:—**भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	पपरेडू	273	0.13	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			274	0.06	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी तक) की शाखा डी-5 के
			275	0.12	शिवपुरी.	निर्माण कार्य हेतु.
			276	0.16		
			331	0.11		
			336	0.16		
			337	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	पपरेडू	338	0.17	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			341	0.08	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी तक) की शाखा डी-5 के
			343	0.08	शिवपुरी.	निर्माण कार्य हेतु.
			344	0.17		
			345	0.02		
			योग . .	1.31		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-13-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	विल्हारीकलां	104	0.08	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			107	0.10	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी पश्चात्) की शाखा डी-7
			106	0.14	शिवपुरी.	की उप शाखा 7 आर के निर्माण
			105/1	0.01		हेतु.
			105/2	0.07		
			115	0.02		
			119	0.07		
			82	0.04		
			84	0.15		
			85	0.05		
			90	0.09		
			91	0.14		
			95	0.08		
			92	0.04		
			93	0.04		
			97	0.08		
			101	0.10		
			योग . .	1.30		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-14-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहीड़ा खुर्द	207	0.14	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			392	0.07	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी तक) की शाखा डी-5,
			395	0.40	शिवपुरी.	8 एल एवं 9 एल माइनर के
			398	0.24		निर्माण कार्य हेतु.
			399	0.18		
			460	0.02		
			461	0.22		
			462	0.02		
			467	0.42		
			469	0.09		
			471	0.01		
			481	0.25		
			491	0.24		
			492	0.02		
			500	0.09		
			504	0.01		
			505	0.09		
			506	0.23		
			507	0.01		
			509	0.01		
			510	0.16		
			511	0.11		
			524	0.02		
			525	0.16		
			567	0.07		
			568	0.35		
			569	0.01		
			573	0.16		
			574	0.17		
			575	0.13		
			579	0.13		
			580	0.26		
			583/2	0.01		
			583/3	0.11		
			584	0.14		
			585	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहीड़ा खुर्द	586	0.08	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध दांया तट नहर (महुअर
			587	0.19	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	नदी तक) की शाखा डी-5,
			588	0.24	शिवपुरी.	8 एल एवं 9 एल माइनर के
			589	0.04		निर्माण हेतु.
			636	0.08		
			640	0.16		
			641	0.10		
			642	0.18		
			644	0.23		
			645	0.11		
			646	0.01		
			योग . .	6.26		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

प्र. क्र. 005-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी 25.578 शासकीय 0.960 कुल. . 26.538	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का अधिग्रहण बावत्.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित



व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
पन्ना	शाहनगर	गजंदा	निजी 30.57 एवं शासकीय भूमि रकबा 10.34 कुल . . 40.91	गजंदा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चैनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—गजंदा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण वेस्ट वियर स्पिल चैनल एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम गजंदा तहसील व अनुभाग शाहनगर हेतु भूमि का अधिगृहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (4) की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	रजोआ	5.886	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान), न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्र. 91-भू-अर्जन-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	कडौला राधौ	0.202	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया.	इमलीढाना जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जाँन किंगसली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-2010-6.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बड़ौद	कछालिया	4.56	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपखण्ड, आगर जिला शाजापुर.	कछालिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु आवश्यक भूमि बावत्.
		कण्डारी	0.43		
		सियाखेड़ी	1.95		
योग :			6.94		

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्लान का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. -भू-अर्जन-2010-1-अ82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	कुल क्षेत्रफल सर्वे रकबा क्रमांक (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उमरिया	मानपुर	कुदरी टोला	300 301/1 307/1 308 307/2 307/3 309 330 331 343/1 343/2 344/1 344/2 360 363	0.110 0.283 0.109 0.134 0.113 0.113 0.274 0.041 0.262 0.061 0.061 0.121 0.120 0.134 0.206	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	पाली रायपुर मार्ग के कि. मी. 12/10 में बन्नौदा घाट पर जोहिला नदी पर पुल निर्माण बावत्.
		योग . .	2.142			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पाली रायपुर मार्ग के कि.मी. 12/10 में बन्नौदा घाट पर जोहिला नदी पर पुल निर्माण बावत्.

(3) भूमि के नक्शा प्लान का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला उमरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. एस. भटनागर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्र. 43-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क), के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं.

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	भट्याण बुजूर्ग	64.648	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

**नोट.**— भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. 49-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगावां	व्यवस्थापित केन्द्र निमवाड़ी.	व्यवस्थापित केन्द्र निमवाड़ी के कक्ष क्रमांक-657 की वनभूमि के पट्टेदारों की भूमि क्षेत्रफल 3.524 हे.	कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं. क्र.-19 भीकनगांव.	अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर एवं उसकी वितरण शाखा के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

**नोट.**— (1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन, वनमण्डलाधिकारी खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, न.वि.सं.क्र.-19 भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) भारत शासन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 6 एम.पी.सी.-19-2005-बी.एच.ओ.-1333, दिनांक 24 जुलाई 2006 के द्वारा अपरवेदा परियोजना के नहर निर्माण के उपयोग की स्वीकृति निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार, शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. भूमि संपादन-2011-संशोधन.—इस न्यायालय द्वारा भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2-अ-82-10-11 में दिनांक 15-10-2010 को ग्राम गोलखुर्द और मालनवासा की कुल भूमि 1.858 हेक्टर की धारा 4 का प्रकाशन लिपिकीय त्रुटि से साधारण रिति से हुआ है।

इस त्रुटि को सुधार करते हुए इस प्रकरण में पत्र क्र. 8492-भू. अ.-2010, दिनांक 28-10-2010 से पुनः धारा 4 का प्रकाशन अर्जेन्सी क्लाज भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा-17(1) के प्रावधान लागू करते हुए किया गया है। अतः लिपिकीय त्रुटि से प्रकाशित धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 15-10-2010 के स्थान पर दिनांक 28-10-2010 को जारी अधिसूचना को पढ़ा जावे।

क्र. भूमि संपादन-2011-संशोधन.—इस न्यायालय द्वारा भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3-अ-82-10-11 में दिनांक 13-10-2010 को ग्राम गोलखुर्द और मालनवासा की कुल भूमि 2.015 हेक्टर की धारा 4 का प्रकाशन लिपिकीय त्रुटि से साधारण रिति से हुआ है।

इस त्रुटि को सुधार करते हुए इस प्रकरण में पत्र क्र. 8493-भू. अ.-2010, दिनांक 28-10-2010 से पुनः धारा 4 का प्रकाशन अर्जेन्सी क्लाज भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा-17(1) के प्रावधान लागू करते हुए किया गया है। अतः लिपिकीय त्रुटि से प्रकाशित धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 13-10-2010 के स्थान पर दिनांक 28-10-2010 को जारी अधिसूचना को पढ़ा जावे।

क्र. भूमि संपादन-2011-संशोधन.—इस न्यायालय द्वारा भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4-अ-82-10-11 में दिनांक 19-10-2010 को ग्राम नागझिरी, मालनवासा तथा शक्करवासा की कुल भूमि 9.226 हेक्टर की धारा-4 का प्रकाशन लिपिकीय त्रुटि से साधारण रिति से हुआ है।

इस त्रुटि को सुधार करते हुए इस प्रकरण में पत्र क्र. 8496-भू. अ.-2010, दिनांक 28-10-2010 से पुनः धारा-4 का प्रकाशन अर्जेन्सी क्लाज भू-अर्जन अधिनियम 1894 धारा-17(1) के प्रावधान लागू करते हुए किया गया है। अतः लिपिकीय त्रुटि से प्रकाशित धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 19-10-2010 के स्थान पर दिनांक 28-10-2010 को जारी अधिसूचना को पढ़ा जावे।

एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 जनवरी 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-2010-11-नस्ती क्र. 216-2010-एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मूंदी	0.504	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) म. प्र. पा. ट्रा. कं. लि., इन्दौर.	पॉवर पारेषण सुधार योजना के अन्तर्गत 132 के. व्ही. उप-केन्द्र विस्तार निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री (सिविल) म. प्र. पा. ट्रा. कं. लि., जीपीएच पोलो ग्राउण्ड इन्दौर कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

रा. मा. क्र. 9 अ-82-वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 22-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	बम्हनी नं.बं. 365 प.ह.न. 35(ख)	16.203	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	बम्हनी जलाशय निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर नरसिंहपुर के भू-अर्जन शाखा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्र. 771-भूअर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. मानकी 2. भगोरा 3. पीपल्याखेड़ी 4. बैलास	1.371 0.827 0.229 0.573	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	गिन्दोरहाट से भगोरा बैलास रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.
योग: 3.000					

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 777-भूअर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. बगवाज 2. पाडलीगोसाईं 3. सीलखेड़ा	0.160 2.246 0.114	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	बगवाज से सीलखेड़ा रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.
योग: 2.520					

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 779-भूअर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. निवारा 2. टोडी 3. कडियाहाट	1.049 0.185 1.158	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	निवारा से कडियाहाट रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.
योग: 2.392					

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 781-भूअर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. नापानेरा 2. नेवली	1.565 <u>0.309</u> योग: 1.874	कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	नापानेरा से नेवली रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.

**नोट.**— भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 783-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. आमझेर 2. तूमडियाखेडी	1.379 <u>1.429</u> योग: 2.808	कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	लखनवास से तुमडियाखेडी रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.

**नोट.**— भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 785-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. भाटखेडी 2. भिलवाडिया	0.366 <u>0.245</u> योग: 0.611	कार्यपालन यंत्रि, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	भाटखेडी से भिलवाडिया रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.

**नोट.**— भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. 787-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. नारियाबे 2. कांसोरकला	1.033 <u>0.721</u> योग: 1.754	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	सुठालिया रोड से नारियाबे कांसोर कला रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 789-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. झरखेडा	0.903 <u>योग: 0.903</u>	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	झरखेडा से पाडली महाराजा रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 793-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	1. नरी 2. पारधानी कुण्डल	0.067 <u>0.394</u> योग: 0.461	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/प राजगढ़, म. प्र.	नरी से सुठालिया रोड निर्माण में भूमि का अर्जन.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लॉन) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

## राजगढ़ दिनांक 20 जनवरी 2011

क्र. 1156-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	1. भैसाना 2. दौलतपुरा	0.065 <u>9.657</u> योग: 9.722	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.	कुशलपुरा तालाब के निर्माण में डूब क्षेत्र में आई तहसील नरसिंहगढ़ की निजी भूमि का अर्जन.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1162-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	1. सूण्डी 2. सांका जागीर	0.972 <u>3.036</u> योग: 4.008	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भ/प, राजगढ़.	सांका जागीर चांदबड़ मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

**नोट.**—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1164-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	1. बोड़ा 2. सेंदरी 3. उमरी 4. कण्डारा कोटरी	4.474 2.343 2.894 2.338	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भ/प, राजगढ़.	बोड़ा, उमरी, सेंदरी, कण्डारा कोटरी मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
			योग: 12.049		

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 14 जनवरी 2011

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 01-अ 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	रहमानपुरा सिंधखेड़ा बड़ीखेड़ा पांचईमली	3.45 8.12 2.01 6.09	भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर	रहमानपुरा तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
			योग: 19.67		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 02-अ 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	रहमानपुरा	7.27	भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर	रहमानपुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 03-अ 82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	हैदरपुर	0.57	भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर	हैदरपुर तालाब के शेष आने वाले क्षेत्रफल के भू-अर्जन हेतु भूमि का अधिग्रहण.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र. 06-अ 82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	हिवरा	1.40	भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर	हैदरपुर तालाब योजना के नहर कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
बुरहानपुर	नेपानगर	हैदरपुर	10.63		
			योग: 12.03		

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 जनवरी 2011

क्र. 38-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गभुवानी महादेवा चौथ	0.58	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	क्योटी नहर प्रणाली की कटकी उप शाखा नहर क्र.-1 निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 40-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	वगढा कोठार	1.415	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	क्योटी नहर प्रणाली की कटकी उप शाखा नहर क्र.-1 निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 42-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गभुवानी वृत	2.346	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	क्योटी नहर प्रणाली की कटकी उप शाखा नहर क्र.-1 निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 44-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	खरहना	0.081	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बसारी	35.507	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.	ललितपुर खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 150-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा (4) की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	देवसर	गोरगी	62.50	उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवसर.	1320 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	(3)
पन्ना, दिनांक 6 जनवरी 2011	2563	0.81	निजी भूमि
	2564/1	0.05	निजी भूमि
	2564/2	0.33	निजी भूमि
	2565	0.27	निजी भूमि
	2566	0.21	निजी भूमि
	2567	0.21	निजी भूमि
	2568	0.10	निजी भूमि
	2569/1	2.46	निजी भूमि
	2569/2	0.97	निजी भूमि
	2570	0.16	निजी भूमि
	2571	0.28	निजी भूमि
	2572/1	0.02	निजी भूमि
	2572/2	0.03	निजी भूमि
	2573	0.14	निजी भूमि
	2574	0.57	निजी भूमि
	2575	0.10	निजी भूमि
	2576	0.11	निजी भूमि
	2577	0.25	निजी भूमि
	2578	0.02	निजी भूमि
	2579	0.51	निजी भूमि
	2582	0.13	निजी भूमि
	2583	0.51	निजी भूमि
	2584	0.54	निजी भूमि
	2585	0.03	निजी भूमि
	2586	0.40	निजी भूमि
	2588	0.13	निजी भूमि
	2589	0.30	निजी भूमि
	2590	0.80	निजी भूमि
	2619	0.10	निजी भूमि
	2620	0.12	निजी भूमि
	2621	0.15	निजी भूमि
	2622	0.12	निजी भूमि
	2623	0.22	निजी भूमि
	2624	0.55	निजी भूमि
	2625	0.56	निजी भूमि
	2626/1	0.28	निजी भूमि
	2626/2	0.12	निजी भूमि
	2627	0.18	निजी भूमि
	2628/1	0.10	निजी भूमि
	2628/2	0.40	निजी भूमि
	2630/2	0.15	निजी भूमि
	2635/1	0.76	निजी भूमि
	2635/2	0.68	निजी भूमि
	2635/3	0.60	निजी भूमि
	2636/1	0.50	निजी भूमि

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—नरदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.03 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	2582	0.13	निजी भूमि
2537	0.15	निजी भूमि	2583	0.51	निजी भूमि
2538	0.03	निजी भूमि	2584	0.54	निजी भूमि
2539	0.06	निजी भूमि	2585	0.03	निजी भूमि
2540	0.04	निजी भूमि	2586	0.40	निजी भूमि
2541	0.26	निजी भूमि	2588	0.13	निजी भूमि
2542	0.40	निजी भूमि	2589	0.30	निजी भूमि
2543	1.15	निजी भूमि	2590	0.80	निजी भूमि
2544/1	0.23	निजी भूमि	2619	0.10	निजी भूमि
2544/2	0.32	निजी भूमि	2620	0.12	निजी भूमि
2545	0.86	निजी भूमि	2621	0.15	निजी भूमि
2546	0.89	निजी भूमि	2622	0.12	निजी भूमि
2548	0.22	निजी भूमि	2623	0.22	निजी भूमि
2549	0.52	निजी भूमि	2624	0.55	निजी भूमि
2554	0.20	निजी भूमि	2625	0.56	निजी भूमि
2555	0.55	निजी भूमि	2626/1	0.28	निजी भूमि
2556	0.26	निजी भूमि	2626/2	0.12	निजी भूमि
2557	0.03	निजी भूमि	2627	0.18	निजी भूमि
2558/1	0.17	निजी भूमि	2628/1	0.10	निजी भूमि
2558/2	0.05	निजी भूमि	2628/2	0.40	निजी भूमि
2559/1	0.05	निजी भूमि	2630/2	0.15	निजी भूमि
2559/2	0.06	निजी भूमि	2635/1	0.76	निजी भूमि
2560	0.11	निजी भूमि	2635/2	0.68	निजी भूमि
2562	0.84	निजी भूमि	2635/3	0.60	निजी भूमि
			2636/1	0.50	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)
2636/2	0.16	निजी भूमि
2636/3	0.14	निजी भूमि
2637	0.37	निजी भूमि
2638/2	0.16	निजी भूमि
2639	0.35	निजी भूमि
2641/1	1.03	निजी भूमि
2641/2	1.02	निजी भूमि
2642	0.29	निजी भूमि
2648	0.10	निजी भूमि
2482	0.08	निजी भूमि
2554	0.13	निजी भूमि
2553	0.13	निजी भूमि
2552	0.12	निजी भूमि
2551	0.04	निजी भूमि
2474/1	0.33	निजी भूमि
2474/2	0.06	निजी भूमि
2467	0.04	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 28.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बहरी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं वेस्ट वियर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 4 जनवरी 2011

प्र. क्र. 05 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की कंवरपुरा तालाब से वेस्टवेयर के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मन्दसौर  
(ख) तहसील—भानपुरा

(ग) ग्राम—सादलपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—03.379 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा	अर्जित संपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
51/1	0.600	
51/2	0.600	
71	0.158	
49/2	0.809	
49/3	0.607	
68/1	0.395	
68/2	0.110	
66/2	0.100	
योग . . 3.379		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कंवरपुरा तालाब से वेस्ट वेयर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ, जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. 331-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—उमरेठ  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-डोंगरखापा रैयतवाड़ी, प.ह.नं. 04,  
ब.नं. 21,  
रा.नि.मंडल-उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.880 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
3/1	1.008
3/2	0.945
5/1	0.440
5/4	0.270
5/6	0.235
5/2	1.690
5/5	0.214
5/7	0.190
21/1	1.068
21/2	0.290
21/3	0.240
28/1	0.060
29	0.010
20	0.010
43/6	0.210
योग . .	<u>06.880</u>

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-डोंगरखापा माल, प.ह.नं. 04,  
ब.नं. 224, रा.नि.मंडल-उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.520 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
2/1	0.240
6/1	0.129
8/1	0.350
2/2	0.105
6/2	0.691
7	0.214
4/1	0.190
5/1	0.030
5/4	0.081
4/2	0.405
5/2	0.060
5/5	0.030
4/3	0.190
5/6	0.071
13/1	0.120
13/2	0.060
100/1	0.010
101	0.050
102	0.025
103	0.049
104	0.040
106	0.040
107	0.100
108	0.110
109	0.130
योग . .	<u>03.520</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोंगरखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्रि, कन्हरगाँव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी किया जा सकता है.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोंगरखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

क्र. 332-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 80 61/3 189	(2) 0.010 0.440 0.906
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगाँव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.	192 196 223 191 227	0.040 0.010 0.160 0.220 0.020
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.	228 229 238 230 232/1 232/2 234 235 237 239 240 241 245/1 61/1	1.324 0.910 0.077 0.830 0.880 0.920 1.485 0.809 0.500 1.790 0.160 0.200 0.520 0.020

क्र. 333-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—उमरेठ  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-निमकुही, प.ह.नं. 04,  
 ब. नं. 301, रा.नि.मंडल-उमरेठ  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—14.062 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
55/1	0.030
57	0.170
58	0.160
59/1	0.210
75/1	0.140
186	0.010
190	0.160
195	0.035
225/2	0.433
193	0.040
194	0.010
225/1	0.433

योग . . . 14.062

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोंगरखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगाँव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगाँव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**श्रीनिवास शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्र. 257-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 5 नवम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—लखनादौन  
(ग) ग्राम—सिहोरा, प.ह.नं. 51  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर अशासकीय (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
30	0.15
योग . .	0.15

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पथरिया जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 257-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 5 नवम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—लखनादौन

- (ग) ग्राम—पायली, प.ह.नं. 97  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.38 हेक्टर.

खसरा नम्बर अशासकीय (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
30	0.74
35	0.05
36	0.05
37	0.05
44	0.05
45	0.24
46	0.05
168/3	0.15
योग . .	1.38

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सालीवाड़ा जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 257-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 5 नवम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—लखनादौन  
(ग) ग्राम—पथरिया, प.ह.नं. 51  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.63 हेक्टर.

खसरा नम्बर अशासकीय (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
51/1	0.15
91	0.20
79	0.05
51/2	0.22
54	0.87

(1)	(2)	(1)	(2)
57/2	0.26	249/2	0.12
78	0.33	254/2	0.15
83/1	0.05	255	0.27
83/2	0.25		योग . . . 4.06
89	0.74		
90	0.51		
	योग . . . 3.63		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पथरिया जलाशय में अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सालीवाड़ा जलाशय अन्तर्गत मुख्य नहर एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 257-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 5 नवम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी  
(ख) तहसील—लखनादौन  
(ग) ग्राम—सालीवाडा, प.ह.नं. 96  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.06 हेक्टर.

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	0.34
52/2	1.00
56	0.15
145/1	0.21
145/2	0.20
182/3	0.46
252/1	0.08
166/1	0.25
182/1	0.34
247	0.18
248	0.31

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्र. 44-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 638-05-कोर्ट-10, इंदौर, दिनांक 8 सितम्बर 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लोज की अनुमति प्राप्त है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—महेश्वर  
(ग) ग्राम का नाम—सेजगांव  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.729 हेक्टर.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104	0.664
106/1/2, 106/2	0.065
योग . . .	0.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.	(1)	(2)
	36	0.065
	37	0.040
	40	0.008
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला-खरगोन,	41	0.020
2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर, जल विद्युत् परियोजना	42	0.016
मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता	46	0.016
(सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं.	47	0.028
मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर	49	0.061
कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन	50	0.040
किया जा सकता है.	51	0.016
	54	0.008
खरगोन, दिनांक 13 जनवरी 2011	56	0.024
	58	0.109
क्र. 52-भू-अ.-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का	59	0.032
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित	60	0.032
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के	64	0.016
लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	65	0.024
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह	67	0.025
घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	68	0.032
आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध	69	0.020
में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 637-05-कोर्ट-10,	73/5	0.486
इंदौर, दिनांक 8 सितम्बर 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह	77	0.364
17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—	101/1	0.081
अनुसूची		योग . . . 5.174

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम का नाम—शिवरामपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.174 हेक्टर.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.008
4	2.009
5/2	0.300
24/1ग	1.254
28	0.040

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला-खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर, जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पाटन, दिनांक 18 जनवरी 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 एवं 68 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—शहपुरा  
(ग) ग्राम—खैरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.49 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
248/3	2.00
248/11	0.80
248/12	0.80
248/15	0.80
248/16	0.80
248/17	0.80
248/18	0.80
248/19	0.80
248/20	0.80
248/21	0.80
248/22	0.80
248/23	0.80
248/24	0.80
248/25	0.40
248/41	0.80
248/44	0.80
248/45	0.80
248/2	0.17
219/2	0.07
219/3	0.12
219/4	0.17
219/5	0.21
218	0.05
210/1	0.04

(1) (2)

216	0.06
215	0.06
205/1	0.04
204	0.04
203	0.06

योग . . 15.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—765 के. व्ही. पुलिंग स्टेशन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 एवं 68 सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर  
(ख) तहसील—शहपुरा  
(ग) ग्राम—हीरापुर बंधा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.21 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
209	0.30
211	0.35
212	1.00
213	1.00
214	1.00
215	1.00
219/2	2.00
219/3	2.00
219/4	2.00
219/5	2.00
219/6	2.00
103/1	0.10
104	0.20
109/1	0.10

(1)	(2)
109/2	0.10
110	0.06
योग . .	15.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—765 के. व्ही. पुलिंग स्टेशन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),  
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़ दिनांक 20 जनवरी 2011

क्र. 1158-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—नरसिंहगढ़  
(ग) नगर/ग्राम—रूगनाथपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.231 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
90	0.100
91	0.113
92	0.018
योग . .	0.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मोतीपुरा तालाब की मुख्य नहर के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 22 जनवरी 2011

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन  
(ख) तहसील—उदयपुरा  
(ग) ग्राम—कुकरा, सिमरिया, उंचाखेडा, बेरखेडी  
(घ) रकबा—11.475 हेक्टर.

ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ग्राम—कुकरा</b>			
	30/4	1.720	0.112
	26/1	2.921	0.294
	26/2	0.405	0.049
	19/2/1	0.303	0.230
	22	3.719	0.504
	13	4.472	0.624
	17	3.245	0.168
	15/2	1.680	0.252
	15/3	1.680	0.252
	100	2.910	0.350





घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची			(1)	(2)	(3)
(1) भूमि का वर्णन—			52	0.255	0.072
(क)	जिला—रायसेन		54/1	1.934	0.099
(ख)	तहसील—उदयपुरा		47/2	1.214	0.185
(ग)	ग्राम—बरखंदा		47/1	0.814	0.059
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—6.164 हेक्टेयर.		46/1	1.011	0.072
			56	0.251	0.036
सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	64/1	1.214	0.135
(1)	(2)	(3)	64/2	1.068	0.104
			65/3	1.619	0.27
			65/2/1	0.809	0.166
			66	6.244	0.248
ग्राम—बरखंदा			ग्राम—बरखंदा		
27	2.093	0.23	257	1.554	0.104
73	0.971	0.12	238	0.401	0.059
75	1.028	0.10	241/1	0.405	0.054
69	1.623	0.171	240/1	0.308	0.036
70	2.237	0.113	242/1	0.202	0.032
67	1.137	0.09	243/2/2	0.164	0.027
39	0.190	0.02	243/1/2	0.428	0.099
37	0.837	0.126	244	0.854	0.081
41/2	0.210	0.09	245	0.899	0.027
40	0.502	0.113	220/1	2.023	0.225
61	1.590	0.18	218	0.139	0.045
62/2	0.809	0.171			
59	1.995	0.203	ग्राम—समनापुर		
258	1.558	0.234	13/2	1.391	0.135
259	0.575	0.032	13/1	1.396	0.015
274	0.785	0.18			
275	1.165	0.02			
276	0.845	0.126			
284/2	1.263	0.27			
284/1	1.262	0.054			
283	1.008	0.239			
294	0.798	0.068			
296/1	0.870	0.027			
296/2	1.667	0.284			
308	2.699	0.257			
309/1	2.076	0.153			
303	1.769	0.106			
					योग . . . 6.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—बरखंदा जलाशय की नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्र. 437-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	खापा पादरीवार ब. नं. 75 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. सौंसर	69.511 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र).	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्ची बैराज) के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित.
(2)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) में जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(5)					अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 438-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	मालेगांव ब. नं. 315 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. सौंसर	49.056 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र).	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्ची बैराज) के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) में जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 439-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	सांवगा ब. नं. 381 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. सौंसर.	04.688 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र).	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्ची बैराज) के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) में जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 440-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	लोहानी ब. नं. 359 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. सौंसर	34.167 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र).	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्ची बैराज) के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) में जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 441-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	चीचघाट ब. नं. 137 प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. सौंसर	0.262 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां).	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र).	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्ची बैराज) के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) में जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 442-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	की धारा 4 (2) के	प्रस्तावित भूमि के		
	नगर/ग्राम	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन		
	अर्जित की जाने वाली		का वर्णन		
	प्रस्तावित भूमि				
	लगभग क्षेत्रफल				
	(हेक्टर में)				
(1)	(2)	(3)	(4)		
(5)	(6)				
छिन्दवाड़ा	सौंसर	पारेघाट	27.750 हेक्टेयर	कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्ची
		ब. नं. 238	एवं (उक्त भूमि	प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर	बैराज) के अन्तर्गत बांध निर्माण
		प.ह.नं. 36	पर आने वाली	अजनी नागपुर (महाराष्ट्र).	से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी
		रा.नि.मं.	संपत्तियां).		भूमि का अर्जन किया जाना
		सौंसर			प्रस्तावित.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) में जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग वैनगंगा नगर अजनी नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-सौंसर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. 29-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).— न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला “Key issues and Challenges regarding under Protection of Women from Domestic Violence Act and Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000”, जो दिनांक 22 जनवरी 2011 एवं 23 जनवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर में दिनांक 22 जनवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर में दिनांक 22 जनवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित हों.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित हों.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Protection of Women from Domestic Violence तथा Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 एवं Cr. P. C. की प्रति साथ लावें.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला सत्र के दौरान चाय, बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

क्र. C-7252-दो-3-66-2002.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-7257-दो-2-37-2010.—श्री जे. एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 29 से 30 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 नवम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्र. C-7273-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 दिसम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. सी-91-दो-2-17-2006.—श्री राजीव सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3729-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 11 नवम्बर 2010 के अन्तर्गत दिनांक 13 सितम्बर 2008 से दिनांक 12 सितम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. सी-93-दो-2-52-2010.—(1) श्री जे. एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-4106, दिनांक 1 अक्टूबर 2010 के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 9 सितम्बर 2010 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण का स्वीकृति आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) श्री जे. एस. क्षत्रिय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3729-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 11 नवम्बर 2010 के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-95-दो-2-68-10.—श्री एन. डी. पटले, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. B-139-दो-3-34-2006.—श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2010 तक

नौ दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-141-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2010 से दिनांक 1 जनवरी 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-143-दो-2-10-2005.—श्री उदय सिंह बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 20 से 27 दिसम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 दिसम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उदय सिंह बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.



प्रमाणित किया जाता है कि श्री उदय सिंह बहरावत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-145-दो-2-32-2000.—श्री राजेन्द्र महाजन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 18 से 24 नवम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-208-दो-2-42-2009.—श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-210-दो-2-6-2006.—श्री एच. यू. अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. यू. अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. यू. अहमद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-213-दो-2-29-2006.—श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से दिनांक 1 जनवरी 2011 तक दो दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-215-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जनवरी 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 23 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-277-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 21 से 28 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-279-दो-2-3-2008.—श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-291-दो-3-65-2002.—श्री अशोक कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2010 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-293-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2010 तक नौ दिन के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-295-दो-2-11-2005.—श्री एम. के. मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2010 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 25 नवम्बर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-297-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2010 तक नौ दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 1 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-299-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-302-दो-3-17-2004.—श्री वेद प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 10 से 15 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 जनवरी 2011 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 16 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-306-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 11-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

#### सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	कुमारी पद्मा जाटव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, विदिशा.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, विदिशा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. B-51-एक-7-3-2010-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2011 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:—

क्र (1)	अवकाश का नाम (2)	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)	सप्ताह के दिन (4)
1.	नववर्ष दिवस	01 जनवरी 2011	शनिवार
2.	गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस.	05 जनवरी 2011	बुधवार
3.	महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.	06 जनवरी 2011	गुरुवार
4.	मकर संक्रांति	14 जनवरी 2011	शुक्रवार
5.	पोंगल	15 जनवरी 2011	शनिवार
6.	बसंत पंचमी	8 फरवरी 2011	मंगलवार
7.	देव नारायण जयन्ती	9 फरवरी 2011	बुधवार
8.	नर्मदा जयन्ती	10 फरवरी 2011	गुरुवार

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	17 फरवरी 2011	गुरुवार
10.	संत रविदास जयन्ती	18 फरवरी 2011	शुक्रवार
11.	शबरी जयंती	24 फरवरी 2011	गुरुवार
12.	होली (होलिका दहन)	19 मार्च 2011	शनिवार
13.	भाईदूज	21 मार्च 2011	सोमवार
14.	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	25 मार्च 2011	शुक्रवार
15.	भक्त माता कर्मा जयन्ती	30 मार्च 2011	बुधवार
16.	चैती चांद	5 अप्रैल 2011	मंगलवार
17.	निषादराज जयन्ती	8 अप्रैल 2011	शुक्रवार
18.	वल्लभाचार्य जयन्ती	28 अप्रैल 2011	गुरुवार
19.	सेन जयन्ती	29 अप्रैल 2011	शुक्रवार
20.	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	5 मई 2011	गुरुवार
21.	परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया	6 मई 2011	शुक्रवार
22.	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती	4 जून 2011	शनिवार
23.	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	9 जून 2011	गुरुवार
24.	महेश जयन्ती	10 जून 2011	शुक्रवार
25.	बड़ा महादेव पूजन	13 जून 2011	सोमवार
26.	कबीर जयन्ती	15 जून 2011	बुधवार
27.	हजरत अली का जन्म दिवस	16 जून 2011	गुरुवार
28.	विरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	24 जून 2011	शुक्रवार
29.	गुरु पूर्णिमा	15 जुलाई 2011	शुक्रवार
30.	नागपंचमी	4 अगस्त 2011	गुरुवार
31.	पारसी नववर्ष दिवस	19 अगस्त 2011	शुक्रवार
32.	जमात-उल-विदा	26 अगस्त 2011	शुक्रवार
33.	ईद-उल-फितर (के ठीक पूर्व का दिवस)	30 अगस्त 2011	मंगलवार
34.	डोल ग्यारस	8 सितम्बर 2011	गुरुवार
35.	ओणम	9 सितम्बर 2011	शुक्रवार
36.	विश्वकर्मा जयन्ती	17 सितम्बर 2011	शनिवार
37.	प्राणनाथ जयन्ती	26 सितम्बर 2011	सोमवार
38.	अग्रसेन जयन्ती	28 सितम्बर 2011	बुधवार
39.	महर्षि वाल्मिकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	11 अक्टूबर 2011	मंगलवार
40.	करवा चौथ पर्व	15 अक्टूबर 2011	शनिवार
41.	भगवान सहस्रबाहु जयन्ती	2 नवम्बर 2011	बुधवार
42.	गदीर-ए-खुम	14 नवम्बर 2011	सोमवार
43.	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2011	मंगलवार
44.	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2011	मंगलवार
45.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर 2011	गुरुवार
46.	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	1 दिसम्बर 2011	गुरुवार
47.	योम-ए-अशुरा	5 दिसम्बर 2011	सोमवार
48.	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2011	शनिवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 48 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.
- (3) अधीनस्थ न्यायालय के स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. B-53-एक-7-3-2010-भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2011 के ऐच्छिक (Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:—

क्र	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुरु गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस.	05 जनवरी 2011	बुधवार
2.	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.	06 जनवरी 2011	गुरुवार
3.	बसंत पंचमी	8 फरवरी 2011	मंगलवार
4.	देव नारायण जयन्ती	9 फरवरी 2011	बुधवार
5.	नर्मदा जयन्ती	10 फरवरी 2011	गुरुवार
6.	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	17 फरवरी 2011	गुरुवार
7.	संत रविदास जयन्ती	18 फरवरी 2011	शुक्रवार
8.	शबरी जयन्ती	24 फरवरी 2011	गुरुवार
9.	भाईदूज	21 मार्च 2011	सोमवार
10.	डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस	25 मार्च 2011	शुक्रवार
11.	भक्त माता कर्मा जयन्ती	30 मार्च 2011	बुधवार
12.	गुडी पड़वा	4 अप्रैल 2011	सोमवार
13.	चैती चांद	5 अप्रैल 2011	मंगलवार
14.	निषादराज जयन्ती	8 अप्रैल 2011	शुक्रवार
15.	गुड फ्राइडे	22 अप्रैल 2011	शुक्रवार
16.	वल्लभाचार्य जयन्ती	28 अप्रैल 2011	गुरुवार
17.	सेन जयन्ती	29 अप्रैल 2011	शुक्रवार
18.	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	5 मई 2011	गुरुवार
19.	परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया	6 मई 2011	शुक्रवार
20.	छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती	4 जून 2011	शनिवार
21.	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	9 जून 2011	गुरुवार
22.	महेश जयन्ती	10 जून 2011	शुक्रवार

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	बड़ा महादेव पूजन	13 जून 2011	सोमवार
24.	कबीर जयन्ती	15 जून 2011	बुधवार
25.	हजरत अली का जन्म दिवस	16 जून 2011	गुरुवार
26.	विरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	24 जून 2011	शुक्रवार
27.	गुरु पूर्णिमा	15 जुलाई 2011	शुक्रवार
28.	नागपंचमी	4 अगस्त 2011	गुरुवार
29.	पारसी नववर्ष दिवस	19 अगस्त 2011	शुक्रवार
30.	जमात-उल-विदा	26 अगस्त 2011	शुक्रवार
31.	ईद-उल-फित् (के ठीक पूर्व का दिवस)	30 अगस्त 2011	मंगलवार
32.	डोल ग्यारस	8 सितम्बर 2011	गुरुवार
33.	ओणम	9 सितम्बर 2011	शुक्रवार
34.	प्राणनाथ जयन्ती	26 सितम्बर 2011	सोमवार
35.	अग्रसेन जयन्ती	28 सितम्बर 2011	बुधवार
36.	महर्षि वाल्मिकी जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.	11 अक्टूबर 2011	मंगलवार
37.	भगवान सहस्रबाहु जयन्ती	2 नवम्बर 2011	बुधवार
38.	गदीर-ए-खुम	14 नवम्बर 2011	सोमवार
39.	बिरसा मुंडा जयन्ती	15 नवम्बर 2011	मंगलवार
40.	झलकारी जयन्ती	22 नवम्बर 2011	मंगलवार
41.	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर 2011	गुरुवार
42.	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	1 दिसम्बर 2011	गुरुवार
43.	योम-ए-अशुरा	5 दिसम्बर 2011	सोमवार
44.	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	31 दिसम्बर 2011	शनिवार

- (1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 44 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
- (2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.
- (3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 44 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
- (4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसीपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.